न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 128 / 2021

अनवान : –

1. महेन्द्र पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।

– सायल

बनाम्

1. भागमल पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा
2. कुलदीप सिंह पुत्र भागमल जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा
3. कृष्ण कुमार पुत्र स्व. मोमनराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा
4. ईश्वर पुत्रगण स्व. मोमनराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा
5. भीम पुत्र स्व. मोमनराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा
6. रामप्रताप पुत्र स्व. मोमनराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा
7. कलावती पुत्री स्व. मोमनराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा
8. सतवीर पुत्र स्व. सिलोचना पुत्री स्व. मोमनराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
9. सुरेश पुत्र पुत्र स्व. सिलोचना पुत्री स्व. मोमनराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
10. सुनीता पुत्री स्व. सिलोचना पुत्री स्व. मोमनराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
11. तीजा पुत्री स्व. सिलोचना पुत्री स्व. मोमनराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
12. पृथ्वी सिंह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा
13. लालचन्द पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा
14. भगवानाराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा
15. शान्ति पुत्री मोमनराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा
16. बुधराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा
17. ओमप्रकाश पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
19. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.06 11:28:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 212(2)आर.टी.एक्ट.

[illegible] जोशी अधिवक्ता सायल

[illegible]य

दिनांक: 17/09/25

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की सायला ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थाश काश्तकार अधिनियम की धारा 212 (2) के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 14 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 128/127 की कुल तादादी 21.5450 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके प्रार्थी व अप्रार्थीगण सयुक्ततः खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का 1/18 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 का 1/6 हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 का 1/6 हिस्सा अप्रार्थी सं. 3 का 1/21 हिस्सा अप्रार्थी सं. 4 का 1/21 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 5 का 1/21 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 6 का 1/21 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 7 का 1/21 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 8 का 1/84 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 9 का 1/84 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 10 का 1/84 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 12 का 1/18 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 13 का 1/18 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 14 का 1/18 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 15 का 1/21 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 16 का 1/18 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 17 का 1/18 हिस्सा, भूमि के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 14 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 127/126 की कुल तादादी 2.6060 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 367/7440 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी सं. 1 का 253/1240 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 2 का 253/1240 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 3 का 367/8680 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 4 का 367/8680 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 5 का 367/8680 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 6 का 367/8680 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 7 का 367/7440 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 8 का 367/34720 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 9 का 367/34720 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 10 का 367/34720 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 12 का 367/7440 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 13 का 367/7440 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 14 का 367/7440 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 15 का 367/8680 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 16 का 367/7440 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 17 का 367/7440 हिस्सा भूमि के सयुक्तः खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की मुश्तरका खातेदारी है प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वजो ने विवादित भूमि का बाहमी बंटवारा कर दिया था तथा प्रार्थी बंटवारा के अनुसार ही काश्त करते आ रहे है तथा अप्रार्थीगण द्वारा सींव लगान का झगड़ा रखने के कारण वाद भूमि का खाता अलहदा–अलहदा करवाने के लिए तथा सींव डोल नष्ट ना करने के लिए वाद व दरख्वास्त धारा 212 आर.टी. एक्ट पेश किया गया है।

न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05/06/2023 को प्रकरण संख्या 122/2023 बअनवानी भगवानाराम बनाम भागमल आदि में स्थगन जारी करके रोही मौजा चक 14 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 127/126 की तादादी 2.6060 हैक्टर भूमि एवं खाता सं. 128/127 की 21.5450 हैक्टर भूमि वाद भूमि की यथास्थिति बनाऐ रखे जाने हेतु समस्त खातेदारान पर स्थगन जारी हुवा है, दिनांक 09/6/2023 को प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थीगण सं. 1,2,4,6 शाम को करीबन 7 बजे के करीब एक राय होकर ट्रेक्टर पर आये तथा उन्होने आते ही प्रार्थी के हिस्से की भूमि खड़ी गुवार की फसल को पलट दी तथा ट्रेक्टर से तोई मार दी प्रार्थी ने शोर मचाया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी को लठो से मारने पडे प्रार्थी ने शोर मचाया तो सुभाष पुत्र पृथ्वीसिंह जाति जाट गांव चिलकनी ढाब व विनोद पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन चिलनकी ढाब भागकर आऐ उन्होने ललकारा [illegible] 1.2. 4. 6 ने स्थगन आदेश दिनांक 05/6/2023 प्रकरण सं. 122/2023 की [illegible] प्रार्थी की खड़ी फसल को पलट दिया। अप्रार्थीगण ताकतवर व राजनैतिक [illegible] को भूमि काश्त करने से रोकते है तथा प्रार्थी की खड़ी गुवार की फसल को अप्रा[illegible]ण सं. 1 व 2 व 4 ता 6 ने जबरिया पलट

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.06 11:28:15 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दिया इसलिए प्रार्थी उक्त भूमि को कुर्क करवाकर रिसिवर के सुपर्द करवा पाने का अधिकारी है, ताकि अप्रार्थीगण सं. 1. 2. 4 ता 6 अकेले प्रार्थी के हिस्से की फसल ना उठा सके तथा नाजायज काश्त का लाभ ना ले सके।

अप्रार्थीगण सं. 1,2,4,6 ने ऐलानिया प्रार्थी को धमकी दी है कि तुम्हे फसल काश्त नही करने देगे प्रार्थी के कब्जा काश्त में खडी फसल गुवार को ट्रेक्टर की तोई से जबरिया पलट दिया अप्रार्थीगण सं. 1.2.4.6 ने विधि विरूद्ध प्रार्थी की फसल को उलटा है तथा वे उची पहुच वाले व्यक्ति है प्रार्थी को भूमि काश्त करने से रोकते है प्रार्थी उक्त भूमि को कुर्क करवाकर अप्रार्थीगण सं. 18 तहसीलदार राजस्व नोहर को रिसिवर नियुक्त करवापाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रोही मौजा चक 14 के.एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 127/126 की 2.6060 हैक्टर भूमि खाता सं. 128/127 की कुल तादादी 21.5450 हैक्टर भूमि को कुर्क किया जाकर बहक कब्जा सरकार लिया जाकर रिसिवर नियुक्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता वकील प्रार्थी की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रकरण मे प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि सायला व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सायला द्वारा उक्त भूमि को रिसिवर नियुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा उसकी फसल को खुर्द बुर्द किया गया है लेकिन अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी की फसल को खुर्द बुर्द किया गया हो। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप सायला का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2)(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साक्ष्य सबूतों के अभाव में स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17/09/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.06 11:28:15 IST
Reason: SelfAttested